न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 359/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– जगमाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी बावडी कलां, तहसील चोहटन जिला बाडमेर 2– ठाकरा पुत्र हुकमा जाति जाट निवासी बावडी कलां तहसील चोहटन जिला बाडमेर		नथा पुत्र हीरा जाति जाट निवासी बावडी कलां तहसील चोहटन जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी चोहटन द्वारा प्रकरण संख्या 144/2016 मे केम्प कोर्ट बावडी मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

दिनांक 21–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 नथा से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 748/248 रकबा 19.12 बीघा, खसरा नंबर 749/248 रकबा 11.06 बीघा कुल 30.18 बीघा भूमि मौजा बावडीकला तहसील चौहटन मे आई हुई है । उक्त भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण के खेतो के बीच किसी प्रकार की कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नही होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थी के बीच मे बरसात के समय एवं अन्य प्राकृतिक पैदावार लेते वक्त खेतो के सेढो के संबंध मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा लडाई झगडा व मारपीट की संभावना रहती है इसलिए इस विवाद से बचने के लिए प्रार्थी अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि पर पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है जिसके संबंध मे प्रार्थना पत्र के साथ चालू जमाबंदी की नकल तथा आंशिक नक्शा पेश कर अपने खातेदारी के खेत की नेखमबंदी आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद के साथ करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13–5–2016 केम्प के नोटिस अप्रार्थीगण को जारी कर केम्प मे दिनांक 13–5–16 को केवल अप्रार्थी नाथा की उपस्थिति मे उसके निवेदन पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते

हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी आदेश उसी सूरत मे पारित किया जा सकता है जब पत्रावली पर कोई अविवादित पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध हो जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे कोई पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध ही नही थी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश केम्प मे पारित कर दिया जबकि केम्प मे केवल राजीनामे के प्रकरण ही सहमति के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश होते हुए नियमित कोर्ट के प्रकरण को केम्प मे बिना पक्षकारो की सुनवाई के जो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने के आशय से बाला–बाला एकतरफा आदेश प्राप्त किया है जबकि रेस्पो0 का पाले से ही जमाबंदी मे दर्ज रकबे से अधिक पर कब्जा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिकाओ के अवलोकन करने पर प्रकट है कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 4–5–2016 को अपने खातेदारी के खेत की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4–5–2016 की आदेशिका अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये उक्त आदेशिका मे न्याय आपके द्वारा केम्प मे पेश होने बाबत कोई उल्लेख आदेशिका मे नही है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नोटिसेज का अवलोकन करने पर उक्त नोटिस दिनांक 13–5–16 न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र बावडी कल्लां के जारी किये गये तथा सभी तामिल सुदा नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नही है कि उन्हे केम्प के कोई नोटिस प्राप्त नही हुए ।

परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ कोई पैमाईश या सीमाज्ञान रिपोर्ट उपलब्ध नही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के ही सीधे पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2016 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस

निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष एवं अपीलाधीन भूमि के अन्य पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पहले विधिवत सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करें तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट पर पक्षकारान को सुनकर पुनः पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 21–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

|